न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 02/2017 – रेफरेन्स

1 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कोटडी — बनाम

1. बालू पिता नन्दा दास बैरागी निवासी सांखडा
2. सम्पत पिता हरिदास बैरागी निवासी सांखडा
3. कैलाश पिता हरिदास बैरागी निवासी सांखडा
4. मिठू पिता हरिदास बैरागी निवासी सांखडा
5. बदाम बेवा हरिदास बैरागी निवासी सांखडा
6. कल्याणदास पिता सीयारामदास बैरागी निवासी सांखडा (मृतक)
7. रामेश्वरदास पिता सीयाराम दास बैरागी निवासी सांखडा
8. शाखा प्रबंधक सहकारी भूमि विकास बैंक लि. भीलवाडा शाखा सुवाणा
9. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा माण्डलगढ

–प्रार्थी

–विपक्षीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 रेफरेन्स प्रस्तुति बाबत्

उपस्थित –

1. पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमावत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 1, 2, 5 की ओर से

निर्णय

दिनांक 05-08.2020

प्रार्थी तहसीलदार, कोटडी ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध यह रेफरेन्स प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम खेजडी पटवार मण्डल सांखडा तहसील कोटडी में आराजी सं. 48,49,52,73 किता 4 रकबा 6.01 बीघा भूमि संवत् 2010 से 2013 में श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पूजारी कल्याण वल्द घासीदास बैरागी के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। संवत् 2015 से 2019 तक व संवत् 2019 से 2022 तक श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी कल्याणदास वल्द घासीदास बैरागी के नाम दर्ज चली आ रही थी। जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 के बाद रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में उक्त आराजियात में

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

श्री चारभुजा जी स्थान देह का नाम विलोपित कर दिया और खातेदार के रूप में पूजारी कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दी गयी। उसके पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2023 से 2029 में पूजारी कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी के बजाय विरासत से नन्दादास सीयारामदास शेष बदस्तुर के नाम दर्ज अभिलेखित हो गयी। जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में नामान्तरकरण संख्या 76 से नन्दादास की विरासत से बालूदास पिता नन्दादास और नामान्तरकरण संख्या 77 से हरिदास के बजाय हरिदास की विरासत से सम्पत कैलाश मिठू पिता हरिदास बैरागी बदाम बेवा हरिदास शेष बदस्तुर दर्ज हुयी। इस प्रकार उक्त आराजियात श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज थी जो संवत् 2023 से 2026 में कल्याणदास पिता घासीदास के नाम खातेदार के हक में दर्ज हो गयी, जबकि उक्त आराजियात श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर ही दर्ज रहनी चाहिये थी। इस प्रकार जमाबन्दी संवत् 2023 से 2029 की खाता संख्या 14 में कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी व इनके वारिसान जो प्रकरण में पक्षकार बनाये है के नाम तब से लेकर वर्तमान मे उक्त आराजियात पूजारी के वारिसान के नाम पर चली आ रही है। उक्त आराजियात वर्तमान में पुजारी के वारिसान बालू पिता नन्दादास, सम्पत कैलाश मिठू पिता हरिदास बदाम बेवा हरिदास, कल्याणदास रामेश्वरदास पिता सियारामदास बैरागी के नाम पर दर्ज रिकार्ड हैं एवं बालूदास पिता नन्दादास ने सहकारी भूमि विकास बैंक लि. भीलवाडा शाखा सुवाणा व सम्पत पिता हरिदास बदाम बेवा हरिदास ने एस.बी.आई. शाखा माण्डलगढ से लोन ले रखा है। इसलिये दोनों बैंकों के शाखा प्रबंधकों को पक्षकार बनाया है। उक्त आराजियात से विपक्षीगणों के खातेदारी हक अधिकार समाप्त करते हुये श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। अतः निवेदन है कि ग्राम खेजडी पटवार मण्डल सांखडा तहसील कोटडी में आराजी सं. 48, 49, 52, 73 किता 4 रकबा 6.01 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के खाते से हटाये जाकर श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

रेफरेन्स प्रतिवेदन दिनांक 01.05.2017 को पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षीगण को वज़ह जाहिर कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी सं. 1,2,5 के अधिवक्ता ने बहस में भाग नही लिया।

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार की एक तरफा बहस सुनी गई।

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया, जिसके उपरान्त यह पाया कि राजस्व ग्राम खेजडी पटवार मण्डल सांखडा तहसील कोटडी में आराजी सं. 48,49,52,73 किता 4 रकबा 6.01 बीघा भूमि संवत् 2010 से 2013 में श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पूजारी कल्याण वल्द घासीदास बैरागी के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी।

संवत् 2015 से 2019 तक व संवत् 2019 से 2022 तक श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी कल्याणदास वल्द घासीदास बैरागी के नाम दर्ज चली आ रही थी।

जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 के बाद रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में उक्त आराजियात में श्री चारभुजा जी स्थान देह का नाम विलोपित कर दिया और खातेदार के रूप में पूजारी कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दी गयी।

जमाबन्दी संवत् 2023 से 2029 में पूजारी कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी के बजाय विरासत से नन्दादास सीयारामदास शेष बदस्तुर के नाम दर्ज अभिलेखित हो गयी।

जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में नामान्तरकरण संख्या 76 से नन्दादास की विरासत से बालूदास पिता नन्दादास और नामान्तरकरण संख्या 77 से हरिदास के बजाय हरिदास की विरासत से सम्पत कैलाश मिठू पिता हरिदास बैरागी बदाम बेवा हरिदास शेष बदस्तुर दर्ज हुयी।

इस प्रकार जमाबन्दी संवत् 2023 से 2029 की खाता संख्या 14 में कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी व इनके वारिसान जो प्रकरण में पक्षकार बनाये है के नाम तब से लेकर वर्तमान मे उक्त आराजियात पुजारी के वारिसान के नाम पर चली आ रही है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 के अनुसार मंदिरमूर्ति अवयस्क हैं, जिनके अधिकारों को कानून ने प्रोटेक्ट किया हैं और ऐसे अंकन जो अवयस्क के हितों के विपरीत हो वे सदैव शून्य, अवैध व निष्प्रभावी होते है एवं राजस्व रिकार्ड में मूर्ति के नाम पर अंकन के साथ कोई रद्दोबदल नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी मंदिरमूर्ति को धारित भूमि किसी शाश्वत के नाम दर्ज अंतरित की जाना सर्वथा अवैध एवं शून्य हैं।

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 46 का संक्षिप्त इस प्रकार हैं–

46 (2) त – देवता के खातेदारी अधिकार– विधि की दृष्टि में एक हिन्दू देवमूर्ति एक शाशस्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नही हो सकते, परन्तु विधि के प्रवर्तन से देवमूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाश्त भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। पुजारी को यदि जमीन भगवान की मूर्ति के भोग–राग के लिये दी गयी हो, तो पुजारी उस जमीन पर अपनी खातेदारी दर्ज नहीं करवा सकता हैं।

इस प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा प्रचलित लोकनीति के तहत रेफरेंस का आवेदन पेश कर साबिक रेकॉर्ड में देवता के नाम खातेदारी हक से पुजारियों के द्वारा अपने नाम पर खातेदारी अधिकार से इन्द्राज करवा लिया एवं रोटेशन के दौरान राजस्व रेकॉर्ड में मूर्ति के पुजारियों के नाम खातेदारी हक से इन्द्राज हो जाने से संज्ञान में आने पर यह रेफरेस प्रस्तुत करते हुए श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पुनः इन्द्राज किए जाने का अनुतोष किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से यह तथ्य सिद्ध है कि ग्राम खेजडी तहसील कोटडी की जमाबन्दी संवत् 2010–2013 अनुसार आराजी सं. 48,49,52,73 किता 4 रकबा 6.01 बीघा भूमि श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज रिकार्ड थी। ऐसी भूमि के लिए विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किए जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत हैं। अतएव –

आदेश

प्रार्थी तहसीलदार, माण्डलगढ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व ग्राम खेजडी पटवार मण्डल सांखडा तहसील कोटडी में आराजी सं. 48,49,52,73 किता 4 रकबा 6.01 बीघा भूमि संवत् 2010 से 2013 में श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज होकर पूजारी कल्याण वल्द घासीदास बैरागी के नाम पर दर्ज रिकार्ड थी। संवत् 2015 से 2019 तक व संवत् 2019 से 2022 तक श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी कल्याणदास वल्द घासीदास बैरागी के नाम दर्ज

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

चली आ रही थी। जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 के बाद रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में उक्त आराजियात में बिना किसी आदेश के श्री चारभुजा जी स्थान देह का नाम विलोपित कर दिया और खातेदार के रूप में पूजारी कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी के नाम दर्ज कर दी गयी। उसके पश्चात् जमाबन्दी संवत् 2023 से 2029 में पूजारी कल्याणदास पिता घासीदास बैरागी के बजाय विरासत से नन्दादास सीयारामदास शेष बदस्तुर के नाम दर्ज अभिलेखित हो गयी। जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में नामान्तरकरण संख्या 76 से नन्दादास की विरासत से बालूदास पिता नन्दादास और नामान्तरकरण संख्या 77 से हरिदास के बजाय हरिदास की विरासत से सम्पत कैलाश मिठू पिता हरिदास बैरागी बदाम बेवा हरिदास शेष बदस्तुर दर्ज हुयी। इस प्रकार उक्त आराजियात श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर दर्ज थी जो संवत् 2023 से 2026 में कल्याणदास पिता घासीदास के नाम खातेदार के हक में दर्ज हो गयी, जबकि उक्त आराजियात श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम पर ही दर्ज रहनी चाहिये थी। जिसे पुनः विपक्षीगण के नाम से हटाया जाकर श्री चारभुजा जी स्थान देह के नाम इन्द्राज कराने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रेषित करने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 5-8- .2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा